कार्यालय नजारत, दीवानी न्यायालय, सीतापुर।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **वित्तीय वर्ष 2024–2025** में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर में निम्नलिखित दुकानों को लगाये जाने सम्बन्धी नीलामी दिनांक **03–05–2024 को समय 4.30** बजे दिन में दीवानी न्यायालय परिसर सीतापुर के सभागार में की जायेगी। नीलामी खुली बोली के आधार पर होगी, इच्छुक व्यक्ति उल्लिखित नियम व शर्तो के साथ नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

ठेके का नाम

गेट संख्या–5 पर स्थित रिक्त भूमि पर फल, चाट, कोलड्रिंक आदि खाद्य वस्तुओं की बिक्री हेत ठेका। नोटिस में उल्लिखित ठेके की बोली में सम्मिलित होने के लिए **10000/–रू0** की जमानत राशि कार्यालय नजारत में **दिनांक 03.05.2024 को** समय 1.30 बजे दिन तक नकद जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा ।

बोली स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या पुनः बोली कराने का अन्तिम एवं पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा ।

ठेकेदार को बोली का 1/4 हिस्सा तुरन्त तथा शेष धनराशि नीलामी स्वीकृत के एक सप्ताह तक अवश्य जमा करना होगा अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और जमानत राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका पुनः होगा।

ठेकेदार दुकान के चारो ओर सफाई रखेगा तथा ठेकेदार विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी प्रकार का कोई निर्माण अस्थायी अथवा स्थायी नही करेगा। ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई मजमा आदि नही लगायेगा।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली अस्वीकृत कर दे।

ठेकेदार न्यायालय परिसर में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा यदि वह ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ठेके की अवधि समाप्त होने के उपरान्त ठेके का कब्जा नजारत अनुभाग को तुरन्त प्रदान करना होगा अन्यथा कि स्थिति में उससे **10,000/–** रू0 प्रति माह की धनराशि दण्ड स्वरूप वसूल की जायेगी।

बोली में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं पैन कार्ड आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन करने पर बिना कारण बताये ठेके को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त शर्तो से यदि कोई व्यक्ति सहमत हो तो वह उपरोक्त वर्णित दिनांक व समय पर नीलामी में भग लेने हेतु उपस्थित हो सकता है।

अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला जज कोर्ट संख्या–1
जनपद न्यायालय, सीतापुर

संख्या समांक एवं तद्दिनांकित।
संख्या 172 दिनांकः– 24.04.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ।
2. प्रतिलिपि नोडल आफीसर कम्प्यूटर को सीतापुर की बेबसाइट पर सूचना हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी नजारत को नीलामी कार्यवाही की व्यवस्था कराये जाने स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित।
4. प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नीलामी सूचना नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–24.04.2024

अध्यक्ष नीलामी समिति,
अपर जिला जज कोर्ट संख्या–1,
जनपद न्यायालय सीतापुर।